

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 1286

15-1, दिनांक, इलाहाबाद, अक्टूबर, 14,

2016।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :- जनपद- कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-667/11-सी-FP/UP/Road/20685/2016, दिनांक 27.09.2016।
सहोदर्य,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुपालन में जनपद- कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग के किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव से सम्बन्धित आख्या/संशोधित प्रस्ताव निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

विन्दु संख्या	आपत्ति	अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन विभाग, उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा लगायी गयी भागक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र संलग्न है, किन्तु सभी 18 भागक शर्तों का अंकित नहीं है।	वन विभाग, उत्तर प्रदेश भारत सरकार द्वारा लगायी गयी 18 भागक शर्तों के मान्य होने का प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।
2	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Gep Referenced Digital Map जो kml shp file में हो तथा सी0डी0 जैकेट कवर सहित, जिस पर मार्कर पेन द्वारा विवरण अंकित हो संलग्न नहीं है। अतः संलग्न करते हुये ऑन लाईन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित Gep Referenced Digital Map जो kml shp file ऑन लाईन करते हुये अपलोड कर दिया गया है तथा मैप प्रभागीय जिलाधिकारी द्वारा सत्यापित कर दिया गया है। सी0डी0 जैकेट कवर सहित, जिस पर मार्कर पेन द्वारा विवरण अंकित कर संलग्न है।
3	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित 1:50000 माप की रंगीन एस.ओ.आई. टोपोशीट संलग्न है किन्तु लीजेण्ड अंकित नहीं है। अतः संशोधित टोपोशीट संलग्न करते हुये ऑन लाईन अपलोड करें।	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का प्रभागीय निदेशक द्वारा सत्यापित संशोधित टोपोशीट संलग्न करते हुये ऑन लाईन अपलोड कर दिया गया है।
4	वन अधिकार अधिनियम- 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु जिलाधिकारी की मोहर अंकित नहीं है तथा ऑन लाईन अपलोड करें।	वन अधिकार अधिनियम- 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा निरूपित प्रमाण-पत्र मोहर सहित संलग्न है तथा बाधक विभाग द्वारा ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है।
5	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहां से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र/वचनबद्धता प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
6	एन0पी0वी0 जमा किये जाने की वचनबद्धता एवं उसमें संशोधन के उपरान्त बढी हुयी धनराशि के भुगतान की वचनबद्धता संलग्न है, किन्तु प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रभागीय निदेशक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
7	मार्ग चौड़ीकरण का संक्षिप्त स्टैण्ड कांस्ट्रक्शन (Liner Plan) संलग्न है, जो स्वीकार्य नहीं है। अतः मार्ग चौड़ीकरण का संक्षिप्त	संशोधित स्टैण्ड कांस्ट्रक्शन संलग्न कर दिया गया है।

	स्टैंडर्ड क्रास संक्शन (Liner Plan) दिया जाये, जिसमें वर्तमान ROW तथा प्रस्तावित ROW की रूप दर्शाया गया हो तथा तालिका स्वरूप में सड़क के किनारे पौध रोपण के लिये जगह की उपलब्धता का विस्तृत विवरण संलग्न हो।	
8	मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan संलग्न है, किन्तु निर्धारित प्रारूप में नहीं है।	मलवा उत्सर्जन का विवरण, इसका निस्तारण एवं Reclamation plan निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर दिया गया है।
9	यदि मलवा उत्सर्जन हो रहा हो तो गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलवा निस्तारण के लिये भू-स्वामित्व का सहमति पत्र संलग्न करें।	मलवा उत्सर्जन गैर वन भूमि पर नहीं हो रहा है।
10	ऑन लाइन पार्ट-2 में क्रमांक- 3 में District wise area "NIII" फीड है, जो त्रुटिपूर्ण है।	ऑन लाइन पार्ट-2 में क्रमांक- 3 में District wise area ऑन लाइन अपलोडिंग दिखाई नहीं दे रहा है, अतः अभी भी "NIII" फीड है,
11	ऑन लाइन पार्ट- 2 एवं हार्ड कॉपी के भाग- 2 में विभाग/जिला प्रोफाइल में अलग-अलग डाटा फीड किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।	ऑन लाइन पार्ट- 2 एवं हार्ड कॉपी के भाग- 2 में विभाग/जिला प्रोफाइल संशोधित कर डाटा फीड कर दिया गया है,

भवदीय,

(बी० प्रशाकर) 13-10-16

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

पत्रांक :- 1286 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, संशायी को उनके पत्रांक 596/5-8, दिनांक 13-10-2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी० प्रशाकर) 13-10-16

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी वृत्त, इलाहाबाद।

96